

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220776 CG-DL-E-30072020-220776

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2233] No. 2233] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2020/श्रावण 8, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2020/SHRAVANA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

का.आ. 2527(अ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम (2019 की संख्या 50) की धारा 5(1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निम्नांकित व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आई.एफ.एस.सी.ए) के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है:

- श्रीमती इन्द्राणी बनर्जी कार्यकारी निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक
- श्री सुजीत प्रसाद
 कार्यकारी निदेशक
 भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड
- श्रीमती टी.एल. अलमेलू सदस्य, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

3409 GI/2020 (1)

4. श्री अनंत गोपाल दास कार्यकारी निदेशक, पेशंन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण

[फा. सं. 4/1/2020 आर.ई.]

आनन्द मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(FINANCIAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2020

S.O. 2527(E).—In exercise of the powers conferred by section 5(1)(b) of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019), the Central Government hereby appoints the following persons as Members of the International Financial Services Centres Authority (IFSCA):

- Smt. Indrani Banerjee, Executive Director Reserve Bank of India
- Shri Sujit Prasad, Executive Director Securities and Exchange Board of India
- Smt. T.L. Alamelu, Member Insurance Regulatory and Development Authority of India
- Shri Ananta Gopal Das, Executive Director Pension Fund Regulatory and Development Authority

[F. No. 4/1/2020-RE]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.